।। संघे शक्ति कलयुगे ।।

स्थापित-1982

बिहार राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ

पटना- 800005 (बिहार)

(अखिल भारतीय विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ, नई दिल्ली)

पंजीयन-97/82

'महासंघ जिन्दाबाद'

प्रदेश अध्यक्ष
शंकर यादव
एल.एन.एम.यू. दरभंगा।
मो0- 9430996453 / 8271191632

प्रदेश कार्यालय-अखिलेश नगर, पश्चिमी रोड नं0-2,
थाना-बाइपास, पोस्ट-झाऊगंज, पटना-800006, मो-7543042345
Email-info@bsuef.org
website: www.bsuef.org

प्रदेश महासचिव
राघवेन्द्र कुमार
बी0आर0ए0बी0यू0, मुजफ्फरपुर
मो0-9973358168

उपाध्यक्ष

डॉ0 दीलिप कुमार गुप्ता
पटना विश्वविद्यालय,पटना
मो0- +91-7631696569

डॉ0 सरोज कुमार सिंह
जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा
मो- +91- 9939745814

कोषाध्यक्ष

जनाब मंजर इमाम
वी० कुँ० सिंह विश्वविद्यालय, आरा
मो०- +91- 9931062586

संगठन मंत्री

डॉ0 दिनेश कुमार दिनकर
मगध विश्वविद्यालय, बोधगया
मो0- +91-9308596371

सुनील कुमार सिंह
कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय
दरभंगा
मो0- +91-9472698751/7979897929

रंजन कुमार
बी.आर.ए.बी.यू., मुजफ्फरपुर
मो.- +91- 9472003662

डॉ0 राजेश्वर राय
बी.एन. मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा
मो०- +91-9431413716

डॉ0 रविन्द्र कुमार मिश्र
कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय
दरभंगा । मो0- +91- 8797275807

सुरेश कुमार चौधरी
तिलका मांझी विश्वविद्यालय, भागलपुर
मो०- +91-9973542172

प्रवक्ता

गौरव
बी.आर.ए.बी.यू., मुजफ्फरपुर
मो०- +91-9123469271

मो0 नसीम अख्तर
सह प्रवक्ता (पटना क्षेत्र)
मौलाना मजहरूल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय
पटना, मो०- +91-7250267712

संयुक्त कोषाध्यक्ष

सैय्यद शाहिद नक़वी
मौलाना मजहरूल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय
पटना, मो०- +91-7488449803

पत्रांक........ दिनांक........

कर्मियों को महाविद्यालय में स्थानांतरण नहीं किया जाएगा साथ ही एक महाविद्यालय से दूसरे महाविद्यालय में भी कर्मियों को स्थानांतरण नहीं किया जाएगा।

4- सी0 डब्लू0 जे0 सी0 संख्या 5305/2009 में स्पष्ट आदेश है कि विश्वविद्यालय कर्मियों को महाविद्यालय में स्थानांतरण नहीं होगा।

5- सी0 डब्लू0 जे0 सी0 संख्या 1380/2011 में भी स्पष्ट आदेश है कि विश्वविद्यालय कर्मी को महाविद्यालय में स्थानांतरण नहीं होगा।

एल0 पी0 ए0 संख्या 1081/2011 में भी स्पष्ट आदेश है कि विश्वविद्यालय कर्मचारियों को महाविद्यालय में स्थानांतरण नहीं होगा। इस संबंध में और भी अन्य न्यायदेश है तथा सी0 डब्लू0 जे0 सी0 संख्या 868/2012 ,सी0 डब्लू0 जे0 सी0 संख्या 13622/10 में भी स्पष्ट आदेश है कि विश्वविद्यालय कर्मियों को महाविद्यालय में स्थानांतरण नहीं होगा।

6-- शिक्षा विभाग बिहार सरकार के विभिन्न संकल्प में भी विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय को अलग अलग इकाई माना गया है संकल्प संख्या-1972 दिनांक 12,10,2004 , संकल्प संख्या 2693 दिनांक 27,08,2010 एवं संकल्प संख्या 591 दिनांक 06,03,2019 ।

ज्ञातव्य हो कि इन तथ्यों पर विचार करने हेतु राज्य के सभी विश्वविद्यालयों माननीय कुलपति महोदय को बिहार राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ पटना के द्वारा पत्र लिखा गया है, पत्रांक एम0 एस0 पी0 अ0 51-67/2021 दिनांक 28,09,2021(प्रतिलिपि संलग्न) जिस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है और विश्वविद्यालय कर्मचारी को महाविद्यालय में स्थानांतरण किया जा ही रहा है।

अतः [illegible] महोदय से नम्र निवेदन है कि विश्वविद्यालय कर्मियों को जिनको भी महाविद्यालय में स्थानांतरण किया गया है सभी को अपने मूल पद विश्वविद्यालय में स्थानांतरण एवं महाविद्यालय कर्मियों को उनके मूल पद पर वापस स्थानांतरित करने हेतु राज्य के सभी माननीय कुलपति महोदय को निर्देशित करने की कृपा करना चाहेंगे, इसके लिए बिहार राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ पटना आपका सदा आभारी रहेगा।

भवदीय

15/12/2021

शंकर यादव

अध्यक्ष

'कर्मचारी संघ जिन्दाबाद'

।। संघे शक्ति कलयुगे ।।

स्थापित-1982

'महासंघ जिन्दाबाद'

बिहार राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ

पटना- 800005 (बिहार)

(अखिल भारतीय विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ, नई दिल्ली)

पंजीयन-97/82

प्रदेश अध्यक्ष
शंकर यादव
एल.एन.एम.यू, दरभंगा।
मो0- 9430996453 / 8271191632

प्रदेश कार्यालय-अखिलेश नगर, पश्चिमी रोड नं0-2,
थाना-बाइपास, पोस्ट-झाऊगंज, पटना-800006, मो-7543042345
Email-info@bsuef.org
website: www.bsuef.org

प्रदेश महासचिव
राघवेन्द्र कुमार
बी0आर0ए0बी0यू0, मुजफ्फरपुर
मो0-9973358168

❖ उपाध्यक्ष ❖

डॉ0 दीलिप कुमार गुप्ता
पटना विश्वविद्यालय, पटना
मो0- +91-7631696569

डॉ0 सरोज कुमार सिंह
जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा
मो- +91- 9939745814

❖ कोषाध्यक्ष ❖

जनाब मंजर इमाम
वी॰ कुँ॰ सिंह विश्वविद्यालय, आरा
मो॰- +91- 9931062586

❖ संगठन मंत्री ❖

डॉ0 दिनेश कुमार दिनकर
मगध विश्वविद्यालय, बोधगया
मो0- +91-9308596371

सुनील कुमार सिंह
कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय
दरभंगा
मो0- +91-9472698751/7979897929

रंजन कुमार
बी.आर.ए.बी.यू, मुजफ्फरपुर
मो.- +91- 9472003662

डॉ0 राजेश्वर राय
बी.एन. मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा
मो॰- +91-9431413716

डॉ0 रविन्द्र कुमार मिश्रा
कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय
दरभंगा । मो0- +91- 8797275807

सुरेश कुमार चौधरी
तिलका मांझी विश्वविद्यालय, भागलपुर
मो॰- +91-9973542172

❖ प्रवक्ता ❖

गौरव
बी.आर.ए.बी.यू., मुजफ्फरपुर
मो॰- +91-9123469271

मो0 नसीम अख्तर
सह प्रवक्ता (पटना क्षेत्र)
मौलाना मजहरूल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय
पटना, मो॰- +91-7250267712

❖ संयुक्त कोषाध्यक्ष ❖

सैय्यद शाहिद नक़वी
मौलाना मजहरूल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय
पटना, मो॰- +91-7488449803

पत्रांक M.S.P.अ0 - 73/2021 दिनांक 15/12/2021

प्रशासनिक शाखा
15 DEC 2021
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना
15.12.2021

सेवा में

माननीय शिक्षा मंत्री
बिहार सरकार पटना।

विषय-- विश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों के अवैध तरीके से महाविद्यालय में स्थानांतरण करने के संबंध में।

महाशय

निवेदन पूर्वक कहना है कि बहुत सारे विश्वविद्यालय कर्मियों को महाविद्यालय में स्थानांतरण किया गया है जिसकी सूचना से विभिन्न विश्वविद्यालय के कर्मचारी संघ द्वारा बिहार राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ पटना को अवगत कराया गया है विश्वविद्यालय महाविद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों विश्वविद्यालय को में स्थानांतरित एवं प्रतिनियुक्ति पर लंबे समय से रखे हुए हैं। बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 2014, विभिन्न न्यायादेश, महामहिम कुलाधिपति महोदय के विभिन्न आदेश एवं राज्य सरकार के विभिन्न संकल्पों में स्पष्ट रूप से विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय को अलग अलग इकाई माना गया है जो निम्न प्रकार हैं ---

1 - महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति महोदय के कार्यालय के द्वारा निर्गत अधिनियम 2014 बी0 एस0 यू0 -41/2013-429 रा0स0 दिनांक 04,03,2014 अनुलग्नक संख्या 1 के 10 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि विश्वविद्यालय महाविद्यालय दोनों दो इकाई है।

2- राज्यपाल सचिवालय बिहार पटना संख्या बी0 एस0 यू0 05/2000-3492 दिनांक 24,10,2002 मैं स्पष्ट आदेश है कि प्रतिनियुक्त किए गए कर्मियों को 5 वर्ष से अधिक होने पर राजभवन से आदेश प्राप्त करना होगा।

3-- सी0 डब्लू 0 जे0 सी0 संख्या 1918/2000 जो वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा से संबंधित है में माननीय न्यायालय का स्पष्ट आदेश है कि विश्वविद्यालय